

आरटीआई-आवेदन कैसे करें

1. भूमिका

भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह लिखित रूप में अथवा भारत सरकार के आनलाइन आरटीआई पोर्टल के जरिए, आवेदन फार्मेट में जनसूचना अधिकारी से तत्संबंधी अनुरोध कर सकता/सकती है।

2. आवेदन शुल्क

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क संलग्न करना अनिवार्य है, जिसका भुगतान निम्नांकित अनुसार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में किया जाना चाहिए। आवेदन शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है, जो वर्तमान में निम्नांकित अनुसार है:-

आवेदन शुल्क : रु. 10/- (दस रुपये मात्र)

भुगतान का तरीका : समुचित रसीद के साथ नकद भुगतान अथवा 'पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के पक्ष में जारी और नई दिल्ली, जहां आवेदन जमा कराया जाना हो, में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल आर्डर के जरिए भुगतान किया जा सकता है।

बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। परंतु, इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

3. अतिरिक्त शुल्क

यदि सूचना प्रदान करने का फैसला किया जाता है, तो आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित किया जाएगा, जो उसे मांगी गई सूचना के लिए जमा कराना होगा और अनुरोधकर्ता द्वारा शुल्क जमा कर दिए जाने के बाद उसे सूचना दे दी जाएगी।

अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए दिनांक 16.09.2005 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अंतर्गत निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाएगा। वर्तमान में लागू अतिरिक्त शुल्क की दरें नीचे दी गई हैं, हालांकि ये दरें समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं:-

क	लिखे या नकल किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 अथवा ए-3 आकार के कागज पर) के लिए	रु. 2/- प्रति पृष्ठ
ख	विस्तृत आकार के कागज के लिए	वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य
ग	नमूनों या मॉडलों के लिए	वास्तविक लागत या मूल्य
घ	रिकॉर्डों के निरीक्षण के लिए	पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, तत्पश्चात रु. 5/- प्रति घंटा।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (5) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के लिए निम्नांकित दरों से शुल्क वसूल किया जाएगा:-

क	डिस्क या फ्लोपी में प्रदत्त जानकारी के लिए	रु. 50/- (रुपये पचास मात्र) प्रति डिस्क या फ्लोपी
ख	मुद्रित रूप में प्रदत्त जानकारी के लिए	सम्बद्ध प्रकाशन के लिए नियत मूल्य के अनुसार अथवा प्रकाशन से सारांश की फोटो कापी हेतु प्रति पृष्ठ रु. 2/-

अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की पद्धति वही होगी, जो आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए ऊपर वर्णित है।

4. अपील

यदि आवेदक को धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में वर्णित निर्दिष्ट समय के भीतर कोई निर्णय/सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा सूचना प्राप्तकर्ता पीआईओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, इनमें जो भी स्थिति हो, तो वह निर्णय प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले **प्रथम अपील प्राधिकारी (आरटीआई), पीएफसी** को अपील कर सकता है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए

आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

1. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2.

3. पिता/पति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) -----

--

4. पूरा पता -----

पिन कोड -----

5. टेलीफोन नम्बर कार्यालय----- आवास----- मोबाइल -----

6. क्या आप बीपीएल श्रेणी से सम्बद्ध हैं (कृपया निशान लगाएं) हां-
---- नहीं-----

(यदि हां, तो आवेदन शुल्क से छूट का

दावा करने के लिए कृपया बीपीएल/अंत्योदय

राशनकार्ड की एक प्रति संलग्न करें)

7. आवेदन शुल्क/अतिरिक्त शुल्क का ब्यौरा:-

(आवेदन शुल्क- रु. 10/-, अतिरिक्त शुल्क ए-4 आकार के कागज पर लिखित या
नकल

किए जाने की स्थिति में रु. 2/- प्रति पृष्ठ की दर से, भुगतान नकद,
डीडी/बीसी/भा.पो.आ. के जरिए जो पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन के पक्ष में जारी और नई
दिल्ली में भुगतान योग्य हो)।

नकद रसीद/डीडी/ बैंकर्स चैक/भापोआ सं	दिनांक	जारीकर्ता बैंक/ प्राधिकारी का नाम	राशि (रुपये)

8. अपेक्षित जानकारी का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी का विशेष ब्यौरा देते हुए पृथक शीट संलग्न करें और वरीयता माध्यम अर्थात् निरीक्षण, फोटो कापी, सॉफ्ट कापी, आदि का उल्लेख करें)।

घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 में वर्णित प्रतिबंध के भीतर नहीं आती है और मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार इसका संबंध आपके कार्यालय से है।

स्थान -----

तारीख -----